यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (सिचाई खंड) अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालयअधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (सिचाई खंड) देहरादून के माह 04/ 2015से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री शरत श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सलीम खान वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 04-10-2018 से 11-10-2018 तक श्री सुनील कल्ला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः**इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रदीप मौर्या एवं श्री मनीष श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री रनवीर सिंह चौहान वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे दिनांक 16.05.2015 से 26.05.2015 तक संपादित की गयी। जिसमे मार्च 2013 से मार्च 2015 तक के अभिलेखो की लेखापरीक्षा की गयी ।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा मुख्यतः ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाता है। इस इकाई के अंतर्गत धौलादेवी, भेसियाछाना एवं लमगड़ा के क्षेत्र आते है।

3. (इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाय)

   इकाई द्वारा केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि एवं कोषागार द्वारा प्रदत्त धनराशि से सड़क निर्माण का कार्य किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन`	व्यय `	आवंटन`	व्यय`		
2015-16	----	0.01	124.14	121.33	1717.72	1350.23	----	0.06
2016-17	----	0.06	136.75	131.46	1998.62	1677.01	----	0.06
2017-18	----	0.06	172.97	171.07	6038.39	4398.38	-----	6.64

नोट:- वर्ष 2015-16 मे रु 370.25 लाख, 2016-17 मे रु 336.90 लाख,2017-18 मे रु 1735.33 लाख का समर्पण किया गया ।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्राप्त `	व्यय अधिक्य(+) `	बचत(-) `
2015-16	प्रोग्राम निधि	1563.07	1206.68	356.39
	प्रशासन (केंद्र)	11.32	11.24	0.08
2016-17	प्रोग्राम निधि	1679.04	1525.81	153.23
	प्रशासन (केंद्र)	16.82	16.09	0.73
2017-18	प्रोग्राम निधि	5736.61	4169.83	1566.78
	प्रशासन (केंद्र)	24.00	23.76	0.24

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा कोषागार मद से किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी ब के अंतर्गत आती है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

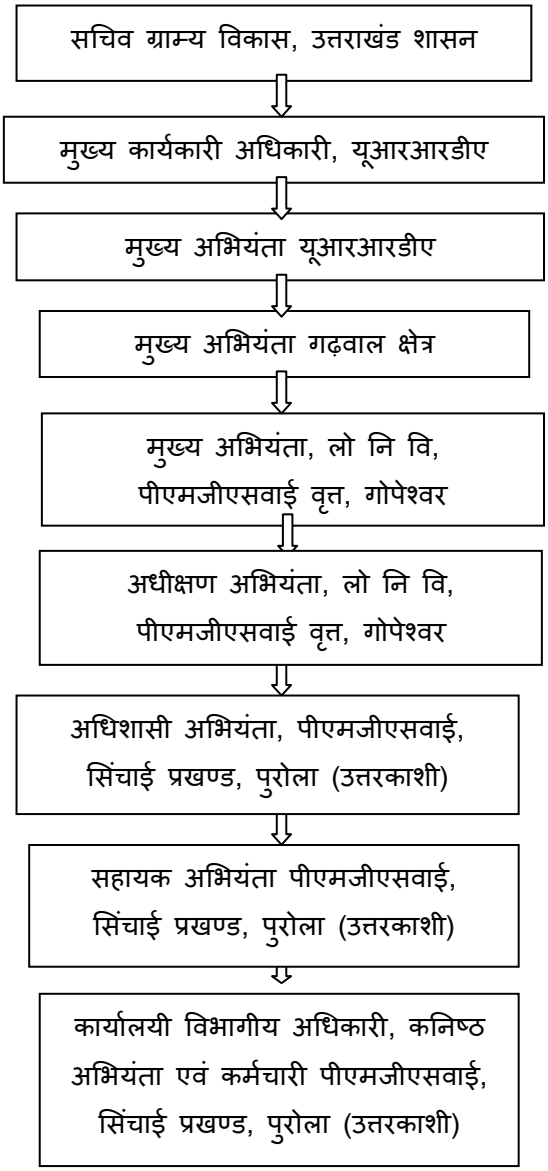

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अल्मोड़ा के अंतर्गत भेसियाछाना, लमगड़ा एवं धौलादेवी का कार्य क्षेत्र आता है। लेनदेन की लेखापरीक्षा संपादित की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (सिचाई खंड) अल्मोड़ा

की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 01/3018 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। योजना का चयन विस्तृत विश्लेषण हेतु किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 ब

प्रस्तर- 1:- 10 मोटर मार्गो के निर्माण हेतु संरेखण मे आने वाली नापभूमि के प्रतिकर के भुगतान के लिए रु 203.94 लाख केपारित प्रस्ताव एवं धनराशि अवमुक्त होने के बावजूद काश्तकारों को भुगतान न करके राशि समर्पण किया जाना ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मोटर मार्ग निर्माण हेतु संरेखण मे आने वाली वाली नापभूमि का बहिनामा, रजिस्टरी किया जाता है तथा काश्तकारों को प्रतिकर का भुगतान किया जाता है। प्रतिकर की दर उत्तरप्रदेश स्टाम्प (संपत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (उत्तराखंड मे लागू) मे निहित प्रावधानों के अनुसार सर्कल रेट की दर से होगी।

इकाई के स्वीकृत मार्गो के प्रतिकर से संबन्धित अभिलेखो / प्रस्तावो की नमूना जांच मे पाया गया कि इकाई द्वारा 09/2018 तक 11 मोटर मार्गो के निर्माण हेतु संरेखण मे आने वाली नापभूमि के लिए प्रतिकर के भुगतान के लिए रु 203.94 लाख की धनराशि का प्रस्ताव भेजा गया था, तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित धनराशि इकाई को वर्ष 2016 तक आवंटित की गयी। आगे, अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि इकाई द्वारा धनराशि प्राप्त होने के बाद भी संरेखण मे आने वाली नाप भूमि के प्रतिकर का भुगतान काश्तकारों को नहीं किया गया तथा इस धनराशि को इकाई द्वारा मार्च 2017 के अन्त मे समर्पण किया गया। **(विवरण संलग्न)**

यहाँ यह भी उल्लेखनीय 10 मोटर मार्गो मे से एक मोटर मार्ग ओ० डी० आर० 08 के कि० मी० 51 से आरासल्पड (फेज 3) के निर्माण हेतु संरेखण मे आयी नाप भूमि के लिए वर्ष 2009 मे रु 10.00 लाख एवं वर्ष 2011 मे रु 60 लाख अर्थात कुल रु 70 लाख अवमुक्त किए गए थे जिसके सापेक्ष वर्ष 2014 से वर्ष 2016 तक रु 19.14 लाख का भुगतान किया गया और शेष धनराशि रु 50.86 लाख का समर्पण माह 03/2017 मे किया गया। अर्थात 8 वर्ष तक धनराशि इकाई के पास अवरूद्ध पड़ी रही।

इस प्रकार मोटर मार्ग मे आने वाली नाप भूमि की न तो बहिनामा रजिस्टरी की गयी और न ही देय प्रतिकर का वितरण लेखापरीक्षा तिथि तक काश्तकारों को किया गया। **(विवरण संलग्न)**

इकाई से इस संबंध मे पूछे जाने पर बताया गया कि खंड मे मात्र एक अमीन की तैनाती होने के कारण प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जा सका।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि इकाई द्वारा आवंटित की गयी धनराशि के भुगतान करने का कोई प्रयास ही नहीं किया गया तथा सम्पूर्ण आवंटित राशि ₹ 203.94 लाख ही समर्पित की गयी है।

अत: 10 मोटर मार्गों के निर्माण हेतु संरेखण में आने वाली नापभूमि के प्रतिकर के भुगतान के लिए ₹ 203.94 लाख के प्रस्ताव पारित होने एवं धनराशि अवमुक्त होने के बावजूद भी काश्तकारों को भुगतान न करके राशि समर्पण किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर-2 सेतु के निर्माण हेतु स्थल चयन एवं डीपीआर समय पर तैयार कर प्रेषित न किये जाने के कारण रु 219.95 लाख (स्टेज-1 रु 31.40 लाख + स्टेज-11 रु 188.55 लाख) का अलाभकारी व्यय

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 8 के अंतर्गत कुसल झाल डुगरा मोटर मार्ग जिसकी लंबाई 3.69 कि० मी० है, के स्टेज-1 के निर्माण (Hill side cutting, pakka road side drain, Retaining and brest wall, scuppers, parapets आदि) कार्य कराये जाने हेतु रु 63.87 लाख एवं अनुरक्षण हेतु रु 8.47 लाख की प्राविधिक स्वीकृति माह 03/2011 को प्रदान की गयी थी । कोर नेटवर्क के अंतर्गत इस मोटर मार्ग द्वारा छः गाँव जुडने थे, जिनकी अनुमानित जनसंख्या1023 थी । इस कार्य के लिए अनुबन्ध सं 01 /EE/ 2011-12 दिनांक 25.04 2011 को गठित किया गया जिसकी अनुबन्ध राशि रु 32.95 लाख थी। कार्य प्रारम्भ की तिथि 25/04/2011 तथा कार्य पूर्णता की तिथि 24.01.2012 थी।

इस मार्ग के स्टेज 2 के निर्माण कार्य (Cause ways, edgestone, parapets GSB, WBM 3, PC work आदि) कार्य हेतु रु 204.44 लाख एवं अनुरक्षण हेतु रु 25.84 लाख की प्राविधिक स्वीकृति माह 12/2014 मे प्रदान की गयी थी ।

इस कार्य के लिए अनुबन्ध सं0 17 /SE/PMGSY-015 दिनाक 06.01.2015 को गठित किया गया जिसकी अनुबन्ध राशि रु 220.69 लाख (निर्माण 205.01 लाख + अनुरक्षण 15.68 लाख) थी। कार्य प्रारम्भ की तिथि 06/01/2015 तथा कार्य पूर्णता की तिथि 05.01.2016 थी। अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि स्टेज 1 का कार्य 31.03.2012 को पूर्ण हुआ तथा ठेकेदार को कुल रु 31.40 लाख का भुगतान किया गया तथा स्टेज 2 का कार्य 31.05.2016 को पूर्ण किया गया तथा ठेकेदार को 188.55 लाख का भुगतान किया गया। अर्थात स्टेज 1 एवं 2 के निर्माण मे रु 219.95 लाख का व्यय किया गया।

आगे,जांच मे यह भी पाया गया कि इस मोटर मार्ग पर चैनेज 1.800 Km पर तथा चैनेज 2.600 Km पर क्रमश: 24 Mts तथा 18 Mts के दो स्टील गर्डर सेतु का निर्माण भी होना था। अर्थात मोटर मार्ग तभी संयोजित होता जब सड़क एवं सेतु का निर्माण पूर्ण हो जाता। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इन सेतुओ के DPR तेयार करने हेतु अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा द्वारा भी दिनाक 09.01.2011 को मुख्य अभियंता

यूआरआरडीए, को लिखा गया था। सेतु के स्थल का चयन एवं इसकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा वर्ष 2012 मे दे दी गयी थी। किन्तु इकाई द्वारा वर्ष 2012 से वर्ष 2018 (6 वर्ष) तक इन सेतुओ के लिए DPR तेयार नहीं की गयी जिसके फलस्वरूप इन सेतुओ का निर्माण नहीं हो सका। इकाई द्वारा मार्च 2018 मे रु 121.52 लाख की एक सेतु की डीपीआर तैयार कर सिविल इंजीनीयरिंग विभाग जी बी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर को प्रेषित की गयी । अतः मोटर मार्ग पर स्टेज 2 का कार्य पूर्ण होने (वर्ष 2016) के दो वर्ष के बाद भी सेतुओ का निर्माण न होने के कारण वर्तमान तक मोटर मार्ग संयोजित नहीं हुआ।

इकाई से इस संबंध मे पूछे जाने पर बताया गया कि जून 2012 मे एक सेतु की डीपीआर प्रेषित की गयी थी जो स्वीकृति नहीं की गयी। तथा मार्ग मे सेतु के स्थान पर अस्थाई व्यवस्था से मार्ग चालू है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि सर्वे के अनुसार सेतु के निर्माण हेतु स्थल चयन एवं डीपीआर समय पर तैयार कर कार्यवाही न किये जाने से मार्ग स्थायी रूप से संयोजित न होने के कारण जहां एक ओर रु 219.95 लाख (स्टेज-1 रु 31.40 लाख + स्टेज-11 रु 188.55 लाख) का व्यय अलाभकारी रहा, वही वर्ष 2012 के एस0 ओ0 आर0 की तुलना मे वर्ष 2018 मे डीपीआर प्रेषित किये जाने के कारण निर्माण लागत मे भी वृद्धि हुई।

अतः सेतु के निर्माण हेतु स्थल चयन एवं डीपीआर समय पर तैयार कर कार्यवाही न किये जाने के कारण रु 219.95 लाख (स्टेज-1 रु 31.40 लाख + स्टेज-11 रु 188.55 लाख) के अलाभकारी व्यय का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग 2-ब

प्रस्तर-3 सुनियाकोट से मटेला मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण एवं सुधार (स्टेज-II) का कार्य अधूरा छोड़ दिये जाने के बावजूद एल डी की धनराशि रु 51.31 लाख वसूल न किया जाना

आईटीबी के पैरा सं0 44.1 के अनुसार यदि कार्य माइलस्टोन के अनुसार नहीं किया जाता है तो ठेकेदार से कम से कम अनुबंध की राशि का 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से या अनुबंध की धनराशि का अधिकतम 10 प्रतिशत एलडी काटी जानी थी।

अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-VI के अंतर्गत सुनियाकोट से मटेला मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य के मोटर मार्ग (स्टेज-II) लंबाई 15.41 किमी0 के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वन एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 08/2009 मे रु 608.82 लाख + रु 46.45 लाख = रु 655.27 लाख की प्रदान की गयी थी। अधीक्षण अभियंता द्वारा माह 03/2010 के संस्तुति के आधार पर गठित विस्तृत आगणन मे रु 608.82 लाख +46.45= रु 655.27 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसके अंतर्गत जी-1,जी-2,जी-3 के कार्य, पीसी के कार्य, रिटेनिंग वाल और ब्रेस्ट वाल के कार्य कासवे, स्कपर,और हिल साइड कच्चा एवं पक्का ड्रेन किमी स्टोन एवं साइन बोर्ड का कार्य किया जाना था। इस मार्ग की निविदा फरवरी 2010 मे किया गया था । तथा अनुबंध सं0 02/एस0ई0-01/2010 दिनांक 16.06.2010 द्वारा रु 608.82 लाख + रु 46.45 लाख= रु 655.27 लाख का अनुबंध किया गया। जिसमे कार्य प्रारम्भ की तिथि 16.06.2010 तथा समाप्ति की तिथि 15.09.2011 थी।

अभिलेखो के निरीक्षण मे पाया गया कि वर्ष 2011 से ही कार्य की धीमी प्रगति तथा कार्य की गुणवत्ता मानको के अनुरूप नहीं थी। फिर भी समय-समय पर उच्चाधिकारिओ द्वारा मामूली अर्थदण्ड के साथ समय वृद्धि 11/2014 तक दी जाती रही। तथा समयवृद्धि मे मुख्य अभियंता महोदय द्वारा समयवृद्धि स्वीकृति मे यह स्पष्ट किया गया था कि यदि समयवृद्धि सीमा तक कार्य नहीं होता है तो एलडी लगाया जाय। माह 10/2014 मे ठेकेदार द्वारा कार्य को पूर्ण किये बिना ही इकाई को कार्य की पूर्णता का प्रमाणपत्र दिया गया और अनुबंध का अंतिमिकरण हेतु अनुरोध किया गया। कार्य अधूरा छोड़ दिये जाने के कारण अधीक्षण अभियंता महोदय के माह 09/2015 के आख्या के अनुसार कार्य का अंतिमिकरण कर दिया गया। और 20 प्रतिशत पेनाल्टी के साथ रु 13.96 लाख का अर्थदण्ड लगाया गया। किन्तु इकाई द्वारा आईटीबी के पैरा सं0 44.1 के अनुसार माह 11/2014 (अंतिम समयवृद्धि) से 09/2015 (कार्य के अंतिमिकरण) तक के समय तक की एल डी की धनराशि रु 667.89 लाख का 1

प्रतिशत रु 6.67 लाख प्रतिसप्ताह (अधिकतम अनुबंध कि धनराशि का 10 प्रतिशत रु 66.78 लाख) की दर से नहीं काटा गया।

इस संबंध मे इकाई से पूछने पर बताया गया कि मुख्य अभियंता महोदय द्वारा समय समय पर समयवृद्धि देते हुए अर्थदण्ड की कटौती के आदेश दिये गए थे जिसके आधार पर अलग-अलग देयकों से रु 6.04 लाख की अर्थदण्ड की कटौती की गयी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि मुख्य अभियंता महोदय द्वारा समयावृद्धि आदेश मे यह इंगित किया जाता रहा कि यदि ठेकेदार द्वारा कार्य समयवृद्धि तक पूर्ण नहीं किया गया तो एलडी की कटौती कर ली जाय किन्तु इकाई द्वारा एलडी की कटौती नहीं की गयी और ठेकेदार को जमानत राशि का भी भुगतान किया गया जो उक्त आदेश का उल्लघन था।

अतः आईटीबी के पैरा सं0 44.1 के अनुसार माह 11/2014 (अंतिम समयावृद्धि) से 09/2015 (कार्य के अंतिमिकरण) तक के समय तक की एल डी की धनराशि रु 66.78 लाख (अनुबंध कि धनराशि का 10 प्रतिशत) की वसूली न किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

* 1% per mark of the initial contract [P/138] & 10% maximum

Initial contract=₹ 655.27 lakh

Completion date=09/2011

Extended upto= 11/2014

Actual work done-09/2015, 10 month delay [43 mark]

Penalty- 655.27*10%=65.27 lakh

P/594-(1) Actual Penalty imposed - 13.96 lakh

Remained penalty=65.27-13.96=51.31 lakh

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
27/2011-12	---	01
111/2012-13	01	----
137/2015-16	01	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

अनुपालन आख्या इकाई द्वारा सक्षम प्राधिकारी को संस्तुति हेतु प्रेषित की गयी थी। जिसके कारण लेखापरीक्षा को अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतुअधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (सिचाई खंड) अल्मोड़ातथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. सतत् अनियमितताएः

शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री एच एस रौतेला	(1-11-14 से 31-12-2016)
2.	श्री जी सी जोशी	(01-01-2017 से 30-06-2018)
3.	श्री विनोद कुमार	(04-08-2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (सिचाई खंड) अल्मोड़ाको इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ सा.क्षे.